निदेशालय,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः एफ 18 पार्ट I / बीमा / व्य0एवंप0 / 2003–2004 / 451–550 दिनांकः 23.6.2020

आदेश

विषयः– दिनांक 01.04.2020 से परिवर्तित राज्य बीमा स्लैब के संबंध में।

विभिन्न कर्मचारी संघो एवं आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण प्रदेश में लागू लॉकडाउन के चलते कई कार्मिकों ने अपना अधिक घोषणा पत्र आहरण एवं वितरण अधिकारियों को समय पर प्रस्तुत नही करने के कारण परिवर्तित राज्य बीमा कटौती का लाभ प्राप्त नही कर पाये, तथा कुछ आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा मार्च, 2020 से परिवर्तित प्रीमियम स्लैब माह मई, 2020 के वेतन के साथ प्रथम / अधिक जोखिम एरियर की दोहरी कटौती वेतन / चालान से जमा होने की सूचना प्राप्त हुई है। उपरोक्त स्थिति और संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.13(21)वित्त / राजस्व / 76 पार्ट दिनांक 19.06.2020 से प्राप्त स्वीकृति के अनुक्रम में माह जून, 2020 के वेतन से परिवर्तित राज्य बीमा स्लैब की कटौती हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन के कारण जिन कार्मिकों की माह मार्च 2020 से माह मई 2020 तक के वेतन से प्रथम / अधिक जोखिम के प्रीमियम / एरियर की कटौती नही हो सकी, उन कार्मिकों के माह मार्च 2020 से मई 2020 तक की अवधि के प्रथम / अधिक बढे हुये प्रीमियम के एरियर की कटौती वेतन माह जून 2020 देय जुलाई 2020 के वेतन से करने एवं बिना ब्याज स्वीकार किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

2. ऐसे प्रकरण जिनमें मार्च 2020 के बकाया प्रीमियम अप्रेल 2020 में कटौती कर ली गई है परन्तु सिस्टम द्वारा मई 2020 के वेतन से पुनः कटौती हो गई, ऐसे प्रकरणों जहां आहरण वितरण अधिकारी द्वारा चालान से मार्च 2020 का एरियर जमा करवा दिया गया फिर भी मई 2020 के वेतन से एरियर की कटौती हो गई, ऐसे कार्मिकों जिनका मार्च 2020 का वेतन स्थगन नही किये जाने के कारण पूरा वेतन भुगतान किया गया था तथा नियमानुसार राज्य बीमा की कटौती माह मार्च के वेतन बिल से ही कर ली गई थी और अधिक घोषणा के आधार पर एरियर की कटौती माह अप्रैल 2020 के वेतन से कर ली गई परन्तु माह मई 2020 के वेतन से एरियर की पुनः कटौती हो गई, ऐसे समस्त प्रकरणों में राज्य बीमा प्रीमियम / एरियर की अधिक हुई कटौती का समायोजन माह जून 2020 के वेतन बिल से आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर समायोजित किया जाना सुनिश्चित करें।

3. वर्तमान में कोष कार्यालय में वेतन बिलों की हार्डकॉपी प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ नही हुई है, जिसके कारण प्रथम/अधिक घोषणा पत्र की हार्डकॉपी भी संलग्न कर कोष कार्यालय को प्रस्तुत नही की जा सकी है। ऐसे प्रकरणों में प्रथम/अधिक घोषणा पत्र की हार्डकॉपी के स्थान पर ओटीपी प्रणाली के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त घोषणा पत्र के आधार पर जोखिम वहन करने की एतद द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकःएफ 18 पार्ट I/बीमा/व्य0एवंप0/2003–2004/451-550 दिनांकः 23.6.2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि आदेश को व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु वित्त विभाग राजस्थान सरकार के पोर्टल पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग जयपुर को पे–मैनेजर (IFMS) में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. निजी सचिव निदेशक महोदय, मुख्यालय जयपुर।
4. अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त संभाग/जिला कार्यालय।
5. अतिरिक्त निदेशक (आईएफएमएस), कोष एवं लेखा विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी राजस्थान।
7. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि मार्च 2020 के प्रथम/अधिक घोषणा पत्र की हार्डकॉपी बिल के साथ, ओटीपी प्रणाली के माध्यम से अथवा विभाग के जिला कार्यालयों को दिनांक 31.07.2020 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
8. अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम), मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार पे–मैनेजर, विभागीय पोर्टल पर आवश्यक संशोधन शीघ्र करवाने का श्रम करावें एवं ओटीपी प्रणाली से संबंधित प्रक्रिया का परिपत्र जारी करवाकर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
9. रक्षित पत्रावली।

23.6.2020

अतिरिक्त निदेशक (बीमा)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान जयपुर।